

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 1279 /2024

दिनांक : 05.04.2024

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश/837/2024 दिनांक 01.03.2024 के द्वारा श्री मोहन लाल सोनी (RJ0543), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, दौसा को दिनांक 11.03.2024 से 22.03.2024 तक 12 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 10.03.2024 एवं 23.03.2024 से 25.03.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 20.03.2024 से 22.03.2024 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 05/04/2024

क्रमांक:-स्था.बी.2(4)/02/2008/2593

दिनांक 05.04.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, दौसा को उनके पत्रांक 3018 दिनांक 20.03.2024 के सन्दर्भ में ।
3. श्री मोहन लाल सोनी (RJ00543), विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, दौसा ।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.नि.) प्रकरण, दौसा ।


05/04/2024
सहायक रजिस्ट्रार